न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 15 / 2024 दायर दिनाँक 24.07.2024

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. समदर खां पुत्र जीतुखां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन	बनाम	1. घीसाराम पुत्र शिवजीराम जाति प्रजापत निवासी बेरी कलां तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राज। 2. मुख्य प्रबंधक युको बैंक शाखा छोटी बेरी। 3. तहसीलदार मौलासर

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा–251 ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हकिम खां वकील प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 15.05.2026

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थी मौजा बेरी कलां पटवार हल्का डाबडा के खेत खसरा संख्या 678 रकबा 2.6500 है. की संयुक्त खातेदारी की अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा 678 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1125/672 है. में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क ए सी बी अनुसर रास्ता चाहा गया है। जिस हेतु नये कटाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामीली अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मौलासर से नवीनतम मौका रिपोर्ट से जरिये पत्रांक – राजस्व/2026/213 दिनांक 09.04.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बेरी कलां के खेत खसरा नम्बर 678 में कोई भी कट्टाणी रास्ता नही लगता है आवेदक का खेत खसरा नम्बर 678 में आवागमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 1128/673 लगता है जो खातेदारी रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दर्ज है व मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है व रास्ता चालू है। सबसे नजदीक [illegible] वाले रास्ते को मार्क ए से बी द्वारा दर्शित किया हुआ है जो कि खसरा नम्बर 1125/672 में से जाता है जिसकी कुल लम्बाई 40 मीटर एव चौडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर बनता है।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस रास्ता नहीं दिए जाने के सबंध में कोई विशेष कथन नही किया।

बहस पर मनन किया एवं, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खेत खसरा नम्बर 678 में कोई भी कट्टाणी रास्ता नही लगता है आवेदक का खेत खसरा नम्बर 678 में आवागमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 1128/673 लगता है जो खातेदारी रास्ता दर्ज है व मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है व रास्ता चालू है। तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है। तहसीलदार रिपॉर्ट मुताबिक अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1125/672 में मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा बेरीकलां पटवार हल्का डाबडा के खसरा संख्या 678 में आवागमन हेतु तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट पत्रांक – राजस्व/2026/213 दिनांक 09.04.2026 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1125/672 वाके सरहद बेरी कलां में दर्शित मार्क A से B को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार मौलासर राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट पत्रांक – राजस्व/2026/213 दिनांक 09.04.2026 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.05.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना